न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

सक्षम– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 712–तीन/2014 विरूद्ध पारित आदेश दिनाक 27–1–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 60/अ–68/2012–2013

भगवानदास वल्द चिन्नी पटेल,
निवासी ग्राम शाहगढ़ तहसील शाहगढ़ जिला सागर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सागर म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री राजेश सेन, अभिभाषक, आवेदक

ए

: आ दे श ::

(पारित दिनांक– 2.12. 2015)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक 600/अ68/12–13 में पारित आदेश दिनांक 27–1–14 के विरूद्ध राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत हुआ है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । तहसीलदार शाहगढ़ के राजस्व प्रकरण कमांक 140/अ–68/10–11 में पारित आदेश दिनांक 4–2–12 से निगराकार भगवानदास को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 918 पर अतिक्रामक बताते हुये रूपये 1500/– का अर्थदण्ड आरोपित किया गया । इसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के समक्ष अपील हुई, जिन्होंने अपने प्रकरण कमांक 32/अ–68/10–11 में

पारित आदेश दिनांक 4–5–13 से अपील खारिज की । इसके विरूद्ध अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील हुई, जिसमें पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27–1–14 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी दायर हुई ।

3/ निगराकार अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये जिनमें उनके द्वारा यह कहा गया कि वे तहसील न्यायालय में दिनांक 30–11–11 एवं 7–12–11 को उपस्थित रहे किन्तु 30–12–11 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई और 4–2–12 को आदेश पारित कर दिया गया । यह भी लिखा कि वह वाद भूमि पर 1963 से काबिज चले आ रहे है, वाद भूमि का नाप ही नहीं किया गया है नाप का कोई प्रतिवेदन पंचनामा प्रकरण में नहीं है, मात्र पटवारी के अप्रमाणित प्रतिवेदन के आधार पर उनका अतिक्रमण होना मान लिया गया है जो गलत है ।

4/ प्रस्तुत तर्क एवं उपलबध अभिलेखों के परिशीलन के आधार पर मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से टीप योग्य पाता हूँ :

(क) दिनांक 30–11–11 एवं 7–12–11 को उपस्थित रहने के बावजूद, बीच में एक पेशी दिनांक 20–12–11 पर उनकी अनुपस्थिति के उपरान्त, अगली पेशी दिनांक 31–1–12 को तहसीलदार द्वारा निगराकार भगवानदास के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कराते हुये उनका साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है । हालांकि दिनांक 13–10–11 को भगवानदास द्वारा उपस्थित होकर तहसीलदार के समक्ष जबाव दिया जाना तहसील न्यायालय की आर्डरशीट पर लिखा है । इस प्रकार भगवानदास को तहसील न्यायालय में जबाव देने का अवसर मिला है किन्तु साक्ष्य के समुचित अवसर से वह वंचित रहे है।

(ख)ा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के अपील प्रकरण कमांक 31/अ–68/11–12 में भगवानदास को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर मिला है एवं वे तथा उनके अधिवक्ता अनेक पेशियों पर उपस्थित रहे हैं। ऐसे

अवसर एवं इन पेशियों में वे उन सब बातों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे जिन्हें वे तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने से छूट गये हो। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 4–5–13 एक विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश है जिसके पैरा 6 से 10 में उन्होंने अलग–अलग वाद बिन्दु पहचान कर बोलते हुये निष्कर्ष निकाले हैं और उनके आधार पर अपना निर्णय पारित किया है ।

(ग)। अपर आयुक्त द्वारा उनके आक्षेपित आदेश दिनांक 27–1–14 में उन्होंने किसना बनाम रूनिया 1984 राजस्व निर्णय 343, भूरीबाई बनाम सीताराम 1984 रा0नि0 250, नारायण बनाम आशाराम 1985 रा0नि0 428, रामजियावन बनाम तेजा प्रसाद 1987 रा0नि0 177, बाबूलाल बनाम भगवानदास 1986 रा0नि0 423, गोविन्द बनाम लिमजी 1986 रा0 नि0 95, श्याम किशोर बनाम उमाकान्त 1988 रा0नि0 4, कांतिलाल बनाम मगनलाल 1984 रा0नि0 387 के न्याय दृष्टांतों के आधार पर अपने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो को हवाला लेते हुये द्वितीय अपील को अस्वीकार किया गया है ।

5/ उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भगवानदास को समुचित अवसर मिलने एवं उनका आदेश विस्तृत एवं समुचित रूप से बोलता हुआ होने, अपर आयुक्त का आदेश अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के समर्थन में होने, तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती स्वरूप के होने के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक 27–1–14 को स्थिर रखने का निर्णय पारित करता हूँ तथा यह निगरानी खारिज करते हुये प्रकरण समाप्त करता हूँ । पक्षकार सूचित हो । अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दा0रि0हो

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश
ग्वालियर